उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 109 /VII-A-1/2024–05(28)2021
देहरादून, दिनांकः 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या–28/VII-A-1/2024–05(28)2021, दिनांक 16 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव– मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या–२७ /VII-A-1/2024–05(28)2021
देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिन्दु 2 के उपबिन्दु 1 (च) का संशोधन

2 उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 (जिसे आगे मूल नीति कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 2.(1)(च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
2.(1)(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;	2.(1)(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सक्षम अधिकारी अभिप्रेत हैं;

बिन्दु 5 (घ) का संशोधन

3 मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 5(घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
5(घ) कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य अनुज्ञाधारक के व्यय पर जिला खान अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसकी सूचना मय ड्रोन फोटोग्राफ संबंधित जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।	5 (घ) ड्रेजिंग अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त व ड्रेजिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञाधारक के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का ड्रोन फोटोग्राफ की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय व जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरान्त ही ड्रेजिंग कार्य हेतु मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा प्रत्येक 30 दिन (01 माह) के अन्तराल व अनुज्ञा समाप्ति पर स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का ड्रोन फोटोग्राफ की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय व जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

करना अनिवार्य होगा।

परन्तु ड्रेजिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञाधारक के द्वारा प्रस्तुत किये गये ड्रोन फोटोग्राफ व अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त प्रस्तुत किये गये ड्रोन फोटोग्राफ का परीक्षण किये जाने पर कोई अनियमतिता दर्शित/पाये जाने पर सम्बन्धित ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक के विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु 6 का 4 संशोधन

मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
6. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि– आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर0 बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।	6. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि– आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। समिति द्वारा निर्धारित/संस्तुत अवधि ही अनुज्ञा हेतु मान्य होगी। परन्तु ऐसे लम्बित प्रकरणों, जिनमें अनुज्ञाधारक द्वारा सम्पूर्ण रायल्टी की धनराशि समस्त देयकों सहित विभागीय लेखा शीर्षक में पूर्व में ही तत्समय जमा कर दी गयी हो तथा सम्बन्धित के पक्ष में निर्गत कार्यादेश के बाद भी अपरिहार्य कारणवश समय पर उपखनिज की निकासी का कार्य प्रारम्भ न हो सका हो अथवा उपखनिज की सम्पूर्ण मात्रा की निकासी हेतु पर्याप्त समय न मिला हो, में उपखनिज की निकासी कार्य की अपरिहार्यता की स्थिति में जिला खान अधिकारी की आख्या एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर प्रश्नगत क्षेत्र/अनुज्ञा के रिक्त होने की दशा में उपखनिज की निकासी हेतु अधिकतम 03 माह की अवधि तक के लिए अनुमति प्रदान किये जाने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु 8 का 5 संशोधन

मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
8. मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति– मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदी पुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मीटर छोड़ते हुए आंवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे0 सी0बी0 पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।	8. मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति– ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत जमा मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट, जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का निस्तारण, tyre mounted loader and tyre mounted excavator मशीनों (अधिकतम 80 Horse power, bucket capacity अधिकतम 1 cubic meter) तथा विशेष परिस्थितियों में जहां ड्रेजिंग कार्य उक्त मशीनों से सम्भव नहीं हो रहा हो, वहां Chain mounted excavators मशीनों (अधिकतम 150 Horse power, bucket capacity अधिकतम 1.5 cubic meter) की सहायता से अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेवल, जो भी अन्यून हो, एवं नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुए सीमाबन्धित क्षेत्रान्तर्गत खनन विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की देखरेख में मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट का निस्तारण उक्त मशीनों के माध्यम से किये जाने हेतु अनुमति भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा प्रदान की जायेगी। (ख) ड्रेजिंग अनुज्ञा क्षेत्रों में मलवा/आर0 बी0एम0/सिल्ट का निस्तारण मशीनों की सहायता से किये जाने हेतु भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जायेगी:– 1. ड्रेंजिंग अनुज्ञाधारक के द्वारा स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत जमा मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट के निस्तारण मे मशीनों के उपयोग

Scanned with OKEN Scanner

हेतु प्रति मशीन रू0 5.00 लाख की एफ0 डी0आर0 भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी तथा ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक के द्वारा मशीनों से कार्य करने में अनियमिता करने/पाये जाने पर उक्त बन्धक एफ0डी0आर0 की धनराशि को निदेशक द्वारा जब्त करते हुए सुसंगत प्रावधानानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत मशीनों द्वारा ड्रेजिंग कार्य की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पर मय संलग्नक सहित आवेदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला खान अधिकारी द्वारा स्वीकृत ड्रेजिंग अनुज्ञा अवधि के प्रत्येक सप्ताह स्वीकृत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसकी आख्या निदेशालय व जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

4. जिला खान अधिकारी से प्राप्त आख्या में मशीनों के संचालन में, यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो निदेशक द्वारा मशीनों के संचालन की अनुमति को निरस्त कर बंधक धनराशि को जब्त करते हुए रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक को 01 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची (Black List) में दर्ज किया जा सकेगा तथा उक्त अवधि में राज्य में खनन पट्टा/अनुज्ञा प्राप्ति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने से वंचित रखा जायेगा तथा ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति को निरस्त करने की संस्तुति की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner